उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 136 / 2023–24 दिनांक : 25.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री बेचे लाल,
ट्रॉजिट कैम्प कृष्णा कालोनी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री बेचे लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892B160160723 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पहले लगभग रू0 500.00 तक का आता था लेकिन अब उनका विद्युत अधिक आ रहा है। वर्तमान समय में उनका विद्युत बिल रू0 3888.00 का जारी किया गया जो बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू0 3888.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 16.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 04.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता व श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–3435 दिनांक 22.09.2023 के

क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन के सापेक्ष चैक मीटर हेतु पंजीकरण किया गया था जिसके सापेक्ष परिवादी के परिसर पर विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला रूद्रपुर के सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—05 / 00450 दिनांक 30.08.2023 के द्वारा चैक मापक सं0 788622 स्थापित किया गया तथा दिनांक 21.09.2023 को फाइनल किया गया, जिसमें परिवादी का पुराना विद्युत मीटर (मीटर सं0—यू846109) सही पाया गया। इससे पूर्व परिवादी के बिल में रू0 1162.00 का वांछित समायोजन दिया जा चुका है, जिसके उपरांत वर्तमान में परिवादी के विरूद्ध रू0 (–) 2109.00 के बिल की देयता अवशेष है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी का पुराना / मुख्य मीटर सही चलता पाया गया। नियमानुसार सही मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादिनी की देयता बनती है। इससे पूर्व विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के बिल में रू0 1162.00 का नियमानुसार समायोजन किया जा चुका है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के त्रुटिपूर्ण बिल में उपरोक्तानुसार रू0 1162.00 का समायोजन दे दिया गया है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती)	25/09/2023 (नवीन चन्द्र तिवारी)	25/09/2023 (सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य